

कार्यालय मुख्य अभियन्ता सानि.वि. राजस्थान जयपुर

क्रमांक : *Camp. The tower Sp-2*

दिनांक : 04/09/2014

अधिसूची अभियन्ता
सानि.वि. खण्ड शाहाबाद ।

विषय : वन विभाग ने आने वाली सड़कों से भूमि प्रत्यावर्तन हेतु ऑन लाइन करने के लिए अधिसूची करने के क्रम में ।

संदर्भ : आपका पत्र क्रमांक 1037 दिनांक 03.09.2014

महोदय,

उपरोक्त विषय में लेख है कि आपके खण्ड के अन्तर्गत विभिन्न योजनाओं में स्वीकृत भूमि सड़कों जो वन विभाग की सीमा में आती हैं एवं विभाग के रोक एवं कारण निर्मित नहीं हो पा रही हैं, उनके भूमि प्रत्यावर्तन के प्रकरण ऑन लाइन करने हेतु अधिसूची अभियन्ता सानि.वि. खण्ड शाहाबाद को अधिसूचित कर गइ है कि आप उक्त सड़कों से सम्बंधित भूमि प्रत्यावर्तन के प्रकरण वन विभाग द्वारा जारी गइए लाइन के अनुसार अपलोड करेंगे एवं समय समय पर विभाग द्वारा जो भी अंतिम कार्यवाही की जाती है वह कोई भी कार्यवाही प्रकरणों से सम्बंधित ऑन लाइन प्राप्त होती है उन्हें पूर्ण करने हुए इस कार्यालय को सूचित करेंगे।

क्र. सं.	सड़क का नाम	योजना	स्वीकृत सन्धि (किमी. म)
1.	नहरपुरा से शिवार	RIDF (VC)	4.00
2.	खल्सा से खरदी	RIDF (VC)	0.61
3.	कदौली से लाउखेडा	RIDF (VC)	3.60
4.	बाधोपुरा से जेतपुरा	RIDF (VC)	5.10
5.	किम्बोनिगा से राजवाडा	RIDF (VC)	9.20
6.	दीदी से फलपुरा उमरठो	RIDF (VC)	4.00
7.	राजपुरा से जेमा 537 से बुडा	RIDF (VC)	6.20
8.	अपडेरान कभवाथाना से भननगावा	RIDF/RSMB	10.60
9.	गरडा से जेतवा	RIDF (VC)	4.00
10.	कदारकुवा से सिलोरा	RRSMP	4.60
11.	जसवन्डा से जिखनपुरा	RRSMP	7.00
12.	ख्यामरा से हरिनुरा	RRSMP	2.00
13.	पोरधनपुरा से घदर	RIDF (VC)	6.60
14.	भुण्डवार राजपुरा रोड से बरसा	RIDF (VC)	7.17
15.	भागोनी से मोहनपुर	PMGSY	14.45
16.	दीलखडा जोग से पाटन	RRSMP	7.00
17.	खण्डेता से हलावनी	RRSMP	4.60
18.	कंदारकुई से मुडाल	RRSMP	10.20
19.	भवारगड से रनवासी	RRSMP	6.60
20.	रनवासी से रनवासा	RRSMP	2.60
21.	गोरधवाडा से तपुगीमारी	RRSMP	3.60
22.	करवरी खुर्द से कामनदेह	RRSMP	6.10
24.	लकडाई से भापसा वाया बुजनपुरा	RRSMP	6.60
25.	रामनद काठा पट्टा रोड किमी 2.500 से करवाडा कभवासीपुरा	RRSMP	2.60

(आर. के. सोनी)
अधिसूची अभियन्ता
सानि.वि. खण्ड शाहाबाद

मुख्य अभियन्ता
Signature EE's Attached
मुख्य अभियन्ता
सानि.वि. खण्ड शाहाबाद

कार्यालय जिला कलेक्टर, बारा (राजस्थान)

क्रमांक- एफ-4(5)(30) राजस्व/2014/ 20-26

दिनांक- 7 फरवरी, 2017

- आदेश :-

अधीक्षण अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग वृत्त, बारा द्वारा प्रस्तुत की गई सूची के अनुसार विभिन्न योजनाओं के तहत सड़क निर्माण में आने वाली वन भूमि के एवज में 102.34 हे० गैर वन भूमि आरक्षित किये जाने हेतु मांग किये जाने पर उक्त प्रयोजनार्थ तहसीलदार, अन्ता द्वारा प्रस्तावित एवं उप वन संरक्षक, बारा के पत्र क्रमांक 14073 दिनांक 12.09.2014 से प्राप्त सहमति के आधार पर राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 92 के तहत इस कार्यालय के आदेश क्रमांक एफ-4(5)(30)राजस्व/2014/6614-20 दिनांक 18.09.2014 से निम्नलिखित भूमियां वन विभाग के नाम आरक्षित (सेट-अपार्ट) की गई हैं।

उप वन संरक्षक, बारा द्वारा पत्र क्रमांक एफ()एफ.सी.ए./उपव/14-15/16782 दिनांक 10.10.2014 से उक्त आरक्षित भूमि को वन विभाग के नाम आवंटन करने की मांग करने पर इस कार्यालय के पत्र क्रमांक/एफ-4(5)(30)राजस्व/2014/ 6628-20 दिनांक 21.10.2014 से प्रकरण राजकीय स्वीकृति हेतु निजवादे जाने पर श्रीमान् संयुक्त शासन सचिव, राजस्व (ग्रुप-3) विभाग, जयपुर के पत्रांक : 2(266)राज-3/14 दिनांक 12.02.15 से प्राप्त राजकीय स्वीकृति के आधार पर निम्नलिखित आरक्षित भूमियों को वन विभाग के नाम आवंटन किया जाता है।

क्र.सं.	तहसील	ग्राम	खसरा न०	एकड़ (है०)	भूमि की किरण
1	अन्ता	बिलोपडी	39	13.20	बंजड़
			41	5.00	बंजड़
			42	6.52	बंजड़
			114	5.80	गैर मुनकिन बरडा
			115	8.58	गैर मुनकिन बरडा
			116	7.70	बंजड़
			136	10.81	बंजड़
			149	3.83	बंजड़
2	सौरसन	8 कित्ता	82.24		
		1175	19.76	गैर मुनकिन बरडा	
		1179	19.15	गैर मुनकिन बरडा	
3	ताखा	2 कित्ता	38.91		
		कुल योग	11 कित्ता	103.40 है०	गैर मुनकिन बरडा

नियमानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जावे।

(डॉ. एल. पी. सिंह)
जिला कलेक्टर
बारा

क्रमांक- एफ-4(5)(30) राजस्व/2014/ 20-26

दिनांक- 7 फरवरी, 2017

प्रतिलिपि- निम्न को सूचनाार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।।

1. संयुक्त शासन सचिव, राजस्व (ग्रुप-3) विभाग, जयपुर।
2. उप वन संरक्षक, बारा।
3. अधीक्षण अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग वृत्त, बारा।
4. उपखण्ड अधिकारी, अन्ता।
5. तहसीलदार, अन्ता को भेजकर लेख है कि आवंटित भूमि का राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर चलना निजवादे।
6. जिला सूचना एवं जन सम्पर्क अधिकारी, बारा।
7. रक्षित पत्रावली।

जिला कलेक्टर
बारा

कार्यालय अधिशाषी अभियन्ता सा.नि.वि. खण्ड शाहबाद जिला बारां

क्रमांक : 116

दिनांक : 25-4-19

श्रीमान् उप वन संरक्षक,
बारां।

विषय :- Diversion of 2.0 ha of forest land for construction of road from Ramgarh-Kalapatta Road to Karwala Laxmipura under RRSMP in Raj. In Baran Forest Division.


प्रसंग :- आपका पत्र क्रमांक एफ() एफ.सी.ए./उवरा/17-18 9442-44 दिनांक 19.07.2017

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत प्रासंगिक पत्र के सन्दर्भ में निवेदन है कि प्रकरण में भारत सरकार द्वारा सदरित पत्र से सैद्धान्तिक स्वीकृति जारी की गई है। यूजर एजेन्सी द्वारा स्वीकृति में अंकित शर्तों को विन्तुवार पालना रिपोर्ट निम्नानुसार है :-

क्र.सं. शर्त संख्या 1	वन भूमि की वैधानिक स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होगा।	शर्त संख्या 1 के तहत वन भूमि की वैधानिक स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं किया जायेगा। इस सन्दर्भ में अन्डर टैकिंग प्रस्तुत है। प्रकरण यूजर एजेन्सी द्वारा 2.0 है० गैर वनभूमि विभाग के नाम आवंटित करा दी गई। जमाबन्दी की नकल एवं नामान्तरण की प्रति संलग्न है।
शर्त संख्या 2	प्रयोजित अभिकरण द्वारा वन विभाग के पक्ष में प्रभावित वन क्षेत्र के समतुल्य गैर वनभूमि अर्थात् 2.0 है० पर क्षतिपूरक वृक्षारोपण एवं 10 वर्षों तक रखरखाव हेतु आवश्यक धनराशि (प्रचलित दरों को समाहित करते हुए यथासंशोधित) केम्पा, नई दिल्ली में जमा की जाएगी।	शर्त संख्या 2 की पालना में वन विभाग के पक्ष में प्रभावित वन क्षेत्र के समतुल्य गैर वन भूमि अर्थात् 2.0 है० पर क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण एवं 10 वर्षों तक रख-रखाव हेतु आवश्यक धन राशि 2.0 है० X 164100/- रु. प्रति हैक्टर की दर से राशि 328200/- रु. केम्पा नई दिल्ली में दिनांक 23.4.2019 को चालान द्वारा कार्पोरेशन बैंक में ऑन लाईन जमा करा दी गई है। प्रति संलग्न है। प्रकरण यूजर एजेन्सी द्वारा 2.0 है० गैर वनभूमि विभाग के नाम आवंटित करा दी गई। जमाबन्दी की नकल एवं नामान्तरण की प्रति संलग्न है।
शर्त संख्या 3	(क) प्रयोजित अभिकरण द्वारा माननीय उच्चतम न्यायालय के रिट पिटीशन (सिविल) 202/1995 के अन्तर्गत आई०ए० संख्या 566 एवं भारत सरकार के पत्र संख्या 5-3/2007-एफ०सी० दिनांक 05.02.2009 के तहत में दिये गये आदेशानुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन.पी.वी.) की निर्धारित राशि केम्पा, नई दिल्ली में जमा की जायेगी। (ख) इसके उपरान्त ऑनलाईन पोर्टल के माध्यम से जमा की गयी धनराशि की ऑनलाईन ई-रसीद की छायाप्रति सहित सैद्धान्तिक स्वीकृति की अनुपालना आस्था (जिसमें जमा की गयी धनराशि का मदवार विवरण अर्थात् क्षतिपूरक वृक्षारोपण, एन.पी.वी हेतु जमा धनराशि का विवरण दिया गया हो) प्रेषित की जाए, तदोपरान्त ही विधिवत् स्वीकृति पर विचार किया जाएगा।	शर्त संख्या 3 के तहत माननीय उच्चतम न्यायालय के रिट पिटीशन (सिविल) 202/1995 के अन्तर्गत आई०ए० संख्या 566 एवं भारत सरकार के पत्र संख्या 5-3/2007-एफ०सी० दिनांक 05.02.2009 के तहत में दिये गये आदेशानुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन.पी.वी.) की निर्धारित राशि रुपये- (2.0 है० X Rs. 6.26 लाख प्रति है०) की दर से राशि रु. 1252000/- केम्पा नई दिल्ली में दिनांक 23.4.19 को चालान द्वारा कार्पोरेशन बैंक में ऑन लाईन जमा करा दी गई है। (ख) ऑनलाईन पोर्टल के माध्यम से जमा की गयी धनराशि की ऑनलाईन ई-रसीद की छाया प्रति संलग्न है।

	(ग) प्रयोक्ता अभिकरण इस आशय का वचनबद्धता प्रमाण-पत्र (सक्षम स्तर द्वारा) प्रस्तुत करेंगे कि यदि एन.पी.वी. की दर में बढ़ोत्तरी होती है तो बड़ी हुई धनराशि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा जमा की जाएगी।	(ग) शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन.पी.वी.) की दरों में बढ़ोत्तरी होने पर बड़ी हुई राशि के सुगमता को जमा कराने हेतु अण्डर टेकिंग संलग्न है।
शर्त संख्या 4	विधिवत् स्वीकृति जारी होने के बाद प्रस्तावित वन क्षेत्र का सीमा रतम्भों द्वारा सीमांकन प्रयोक्ता अभिकरण के व्यय पर किया आयेगा। अक्षांश एवं देशान्तर भी मानचित्र एवं पीलर पर दर्शाया जायेगा और वन क्षेत्र में लगे प्रत्येक स्तम्भ के आगे (Forward) एवं पीछे (Backward) उनकी दिशा (Bearing) भी लिखनी होगी।	शर्त संख्या 4 के तहत वन क्षेत्र में 4 फिट ऊँचे आर.सी.सी. स्लिरों द्वारा सीमांकन कर आवश्यक सूचना अंकित करने हेतु अण्डर टेकिंग संलग्न है।
शर्त संख्या 5	प्रयोक्ता अभिकरण एवं राज्य सरकार यह सुनिश्चित करेंगे कि प्रस्तावित प्रकरण में विधिवत् स्वीकृति से पूर्व किसी भी प्रकार से वन संरक्षण अधिनियम 1980 का उल्लंघन नहीं किया जाएगा।	शर्त संख्या 5 के तहत प्रयोक्ता अभिकरण एवं राज्य सरकार प्रस्तावित प्रकरण में विधिवत् स्वीकृति से पूर्व किसी भी प्रकार से वन संरक्षण अधिनियम 1980 का उल्लंघन नहीं करने की अण्डर टेकिंग प्रस्तुत है।
शर्त संख्या 6	प्रयोक्ता अभिकरण एवं राज्य सरकार वर्तमान तथा भविष्य में लागू सभी नियम, कानून तथा दिशा निर्देशों का पालन करेंगी।	शर्त संख्या 6 के तहत प्रयोक्ता अभिकरण एवं राज्य सरकार वर्तमान तथा भविष्य में योजना पर लागू सभी नियम, कानून तथा दिशा-निर्देशों की पालना हेतु अण्डर टेकिंग प्रस्तुत की गई। प्रति संलग्न है।
शर्त संख्या 7	सैद्धान्तिक स्वीकृति की अनुपालना प्रेषित करते हुए संबंधित प्रभागीय वनाधिकारी प्रकरण में वन संरक्षण अधिनियम 1980 के उल्लंघन के विषय में सूचना/प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करेंगे।	वन विभाग से सम्बन्धित है।


(आर.के. सोधी)

अधिशायी अभियन्ता
सा.नि.वि. खण्ड शाहाबाद

कार्यालय अधिशाषी अभियन्ता सा.नि.वि. खण्ड शाहबाद जिला बारां


क्रमांक :

दिनांक :

अभिलिखित सहमति (अन्डरटेकिंग)

कार्य का नाम :- BT Road From Ramgarh Kalapatta Road to Karwala Laxmipura
under RRSMP Proposal No. FP/RJ/Road/6988/2014 (2.0 Ha.)

प्रमाणित किया जाता है कि सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्त सं. 1 की
अनुपालना में वन भूमि की वैद्यनिक स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं किया जायेगा।


(आर.के. सोनी)
अधिशाषी अभियन्ता
सा.नि.वि. खण्ड शाहबाद

कार्यालय अधिशाषी अभियन्ता सा.नि.वि. खण्ड शाहबाद जिला बारां


क्रमांक :

दिनांक :

अभिलिखित सहमति (अन्डरटेकिंग)

कार्य का नाम :- BT Road From Ramgarh Kalapatta Road to Karwala Laxmipura
under RRSMP Proposal No. FP/RJ/Road/6988/2014 (2.0 Ha.)

प्रमाणित किया जाता है कि सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्त संख्या 3 (ग)
की अनुपालना में राक्षम स्तर से यदि एन.पी.वी. की दरों में बढ़ोतरी होती है तो बढ़ी हुयी धन
राशि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा जमा की जायेगी।


(आर.के. सोनी)
अधिशाषी अभियन्ता
सा.नि.वि. खण्ड शाहबाद

कार्यालय अधिशाषी अभियन्ता सा.नि.वि. खण्ड शाहबाद जिला बारां


क्रमांक :

दिनांक :

अभिलिखित सहमति (अन्डरटेकिंग)

कार्य का नाम :- BT Road From Ramgarh Kalapatta Road to Karwala Laxmipura
under RRSMP Proposal No. FP/RJ/Road/6988/2014 (2.0 Ha.)

प्रमाणित किया जाता है कि सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्त सं. 4 की अनुपालना में वन क्षेत्र का सीमा स्तम्भों द्वारा सीमांकन प्रयोक्ता अभिकरण के व्यय पर किया जाएगा। यह सीमांकन 4 फीट ऊंचे आर.सी.सी. पीलरों से किया जाएगा। जिसमें प्रत्येक पीलर पर क्रमांक डी.जी.पी.एस. निर्देशांक Backword and Forward bearing एवं अपने निकटवर्ती पीलरों से दूरी दर्शायी जाएगी।


(आर.के.सोनी)

अधिशाषी अभियन्ता
सा.नि.वि. खण्ड शाहबाद

कार्यालय अधिशाषी अभियन्ता सा.नि.वि. खण्ड शाहबाद जिला बारां


क्रमांक :

दिनांक :

अभिलिखित सहमति (अन्डरटेकिंग)

कार्य का नाम :- BT Road From Ramgarh Kalapatta Road to Karwala Laxmipura
under RRSMP Proposal No. FP/RJ/Road/6988/2014 (2.0 Ha.)

प्रमाणित किया जाता है कि सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्त सं. 5 की अनुपालना में प्रयोक्ता अभिकरण एवं राज्य सरकार द्वारा प्रस्तावित प्रकरण में विधिवत् स्वीकृति से पूर्व किसी भी प्रकार से वन संरक्षण अधिनियम 1980 का उलंघन नहीं किया जायेगा।



(आर.के. सोनी)
अधिशाषी अभियन्ता
सा.नि.वि. खण्ड शाहबाद

कार्यालय अधिशाषी अभियन्ता सा.नि.वि. खण्ड शाहबाद जिला बारां


क्रमांक :

दिनांक :

अभिलिखित सहमति (अन्डरटेकिंग)

कार्य का नाम :- BT Road From Ramgarh Kalapatta Road to Karwala Laxmipura
under RRSMP Proposal No. FP/RJ/Road/6988/2014 (2.0 Ha.)

प्रमाणित किया जाता है कि सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्त सं. 6 की अनुपालना में प्रयोक्ता अभिकरण एवं राज्य सरकार वर्तमान तथा भविष्य में योजना पर लागू सभी नियम, कानून तथा दिशा निर्देशों का पालन करेगी।


(आर.के.सोनी)
अधिशाषी अभियन्ता
सा.नि.वि. खण्ड शाहबाद

कार्यालय अधिशाषी अभियन्ता सा.नि.वि. खण्ड शाहबाद जिला बारां


क्रमांक :

दिनांक : 25.04.2019

अभिलिखित सहमति (अन्डरटेकिंग)

कार्य का नाम :- BT Road From Ramgarh Kalapatta Road to Karwala Laxmipura
under RRSMP Proposal No. FP/RJ/Road/6988/2014 (2.0 Ha.)

प्रमाणित किया जाता है कि रामगढ़ - काला पट्टा रोड़ से
करवरा-लक्ष्मीपुरा सड़क भराव (Embankment) में बनायी जावेगी। सड़क निर्माण में किसी तरह
का मक उत्पादित नहीं होगा। अतः सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्तानुसार मक डिस्पोजल योजना
की आवश्यकता नहीं होगी।


(आर.के.सोनी)
अधिशाषी अभियन्ता
सा.नि.वि. खण्ड शाहबाद

कार्यालय जिला कलक्टर, बारां (राजस्थान)

क्रमांक:- एफ-4(5)(30) राजस्व/2014/ 20-26 दिनांक:- 7 फरवरी, 2017

- आदेश :-

अधीक्षण अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग वृत्त, बारां द्वारा प्रस्तुत की गई सूची के अनुसार विभिन्न योजनाओं के तहत सड़क निर्माण में आने वाली वन भूमि के एवज में 102.34 हे० गैर वन भूमि आरक्षित किये जाने हेतु मांग किये जाने पर उक्त प्रयोजनार्थ तहसीलदार, अन्ता द्वारा प्रस्तावित एवं उप वन संरक्षक, बारां के पत्र क्रमांक 14073 दिनांक 12.09.2014 से प्राप्त सहमति के आधार पर राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 92 के तहत इस कार्यालय के आदेश क्रमांक एफ-4(5)(30)राजस्व/2014/5814-20 दिनांक 18.09.2014 से निम्नलिखित भूमियां वन विभाग के नाम आरक्षित (रोट-अपार्ट) की गई हैं।

उप वन संरक्षक, बारां द्वारा पत्र क्रमांक एफ()एफ.सी.ए./उवस/14-15/18782 दिनांक 10.10.2014 से उक्त आरक्षित भूमि को वन विभाग के नाम आवंटन करने की मांग करने पर इस कार्यालय के पत्र क्रमांक/एफ-4(5)(30)राजस्व/2014/ 6528-29 दिनांक 21.10.2014 से प्रकरण राजकीय स्वीकृति हेतु भिजवाये जाने पर श्रीमान् संयुक्त शासन सचिव, राजस्व (ग्रुप-3) विभाग, जयपुर के पत्रांक : 2(266)राज-3/14 दिनांक 12.02.15 से प्राप्त राजकीय स्वीकृति के आधार पर निम्नलिखित आरक्षित भूमियों को वन विभाग के नाम आवंटन किया जाता है।

क्र.सं.	तहसील	ग्राम	खसरा न०	एकड़ (हे०)	भूमि की किरम
1	अन्ता	बिलेण्डी	39	13.20	बंजड़
			41	5.00	बंजड़
			42	6.52	बंजड़
			114	5.80	गैर मुमकिन बरडा
			115	9.58	गैर मुमकिन बरडा
			116	7.70	बंजड़
			136	10.81	बंजड़
			149	3.63	बंजड़
			8 किता	62.24	
			2	सरिसन	1175
1179	19.15	गैर मुमकिन बरडा			
2 किता	38.91				
3	ताखा	389	2.25	गैर मुमकिन बरडा	
		कुल योग	103.40 हे०		

नियमानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दखानद किया जावे।

(डॉ. एस. पी. सिंह)
जिला कलक्टर
बारां

क्रमांक:- एफ-4(5)(30) राजस्व/2014/ 20-26 दिनांक:- 7 फरवरी, 2017

प्रतिलिपि:- निम्न को सूचनाार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।।

1. संयुक्त शासन सचिव, राजस्व (ग्रुप-3) विभाग, जयपुर।
2. उप वन संरक्षक, बारां।
3. अधीक्षण अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग वृत्त, बारां।
4. उपखण्ड अधिकारी, अन्ता।
5. तहसीलदार, अन्ता को भेजकर लेना है कि आवंटित भूमि का राजस्व रिकार्ड में अमल दखानद कर जालना भिजवाये।
6. जिला सूचना एवं जन सम्पर्क अधिकारी, बारां।
7. रक्षित पत्रावली।

जिला कलक्टर
बारां

Land to be allotted to Forest Department

21/09/15
15/9

PWD circle Baran

As on 11.09.2014

S. No.	Name Of Division	Name Of Tehsil	Name of Scheme	Name of Road	Area to be allotted to Forest Department (in hectare)	Remark
Old Cases						
1	Chhabra	Chipabarod	PMGSY	पाटरी से भटनाव		18
2	Shahbad	Shahbad	PMGSY	मामोनी से मोहनपुर	1.50	
New Cases						
				योग	2.80	
					4.10	
1	Chhabra	Chhabra	5054 / RURAL ROAD	हिंगलोट से नदनाखेड़ी बाया हरिपुरा	3.00	
2	Chhabra	Chhabra	5054/ SHW	कोटा घरनावदा सड़क		
3	Shahbad	Kishanganj	RIDF-XVIII (VC)	खल्दा से खल्दी	13.58	
4	Shahbad	Kishanganj	RIDF-XVIII (VC)	कदीली से तातखेडा ✓	0.61	
5	Shahbad	Kishanganj	RIDF-XVIII (VC)	माघीपुरा से जैतपुरा ✓	3.20	
6	Shahbad	Kishanganj	RIDF-XVIII (VC)	ढिकोनिया से तलापडा ✓	4.00	
7	Shahbad	Kishanganj	RIDF-XVIII (VC)	नेहरपुरा से अिसी ✓	7.50	
8	Shahbad	Shahbad	RIDF-XVIII (VC)	विधी से रामपुर उपरेटी ✓	4.00	
9	Shahbad	Shahbad	RIDF-XVIII (VC)	एन.एच-76 किमी 572/0 से बुजा ✓	2.50	
10	Shahbad	Shahbad	RIDF-XVIII (VC)	राजपुर से बरास ✓	2.60	
11	Shahbad	Kishanganj	RIDF-XVII (Missing Link)	गरडा से जैसवा ✓	0.55	
12	Shahbad	Kishanganj	RIDF-XVII (RSAMB)	कसबाथाना से बभनगदा ✓	4.00	
13	Shahbad	Shahbad	RRSMP	उनी कंदारकुई से सिलोस ✓	5.20	
14	Shahbad	Kishanganj	RRSMP	स्थावदा से हरिपुरा ✓	3.00	
15	Shahbad	Kishanganj	RRSMP	जलदाडा से किशानपुरा ✓	1.00	
16	Shahbad	Kishanganj	RIDF-XVIII (VC)	गोरधनपुरा से घट्टा ✓	3.00	
17	Shahbad	Kishanganj	RRSMP	खण्डेला से हलावनी ✓	0.50	
18	Shahbad	Shahbad	RRSMP	बीलखेडा डांग से पाटन ✓	2.00	
19	Shahbad	Shahbad	RRSMP	कंदारकुई से मुहाल ✓	1.00	
20	Shahbad	Kishanganj	RRSMP	मंघरगढ से रानवासी ✓	7.00	
21	Shahbad	Kishanganj	RRSMP	रनवासी से रनदारग ✓	2.50	
22	Shahbad	Kishanganj	RRSMP	गोरधनपुरा से कालीमारी ✓	5.80	
23	Shahbad	Kishanganj	RRSMP	राभगढ काला पट्टा सड़क किमी 2/500 से करवाला लक्ष्मीपुरा ✓	3.00	
24	Shahbad	Kishanganj	RRSMP	करवरी खुई से आगनदेह ✓	2.00	
25	Shahbad	Kishanganj	RRSMP	लकडाई से मामली बाया दुर्जनपुरा ✓	4.20	
26	Shahbad	Kishanganj	RRSMP	मामली लक्ष्मीपुरा पटपडी सड़क ✓	1.00	
27	Shahbad	Shahbad	RIDF-XVIII (VC)	राजपुर गुण्डियर सड़क (रामपुर उपरेटी) से ईराटोरी ✓	3.00	
28	NH Division	Atru		कवाई ✓	4.00	
					3.25	

[Handwritten Signature]

5 No.	Name Of Division	Name Of Tehsil	Name of Scheme	Name of Road	Area to be allotted to Forest Department (in hactare)	Remark
1	2		3	4	6	
29	NH Division	Atru		खेडली गादिया		18
30	NH Division	Atru		सिंगनी जागीर	1.02	
31	NH Division	Chipabarod		बरडावदा	1.21	
32	NH Division	Chipabarod		कालपा जागीर	0.44	
33	NH Division	Chipabarod		नयापुरा	1.66	
				योग	4.92	
				कुल योग	98.24	
					102.34	

[Handwritten Signature]

(सुनिश्च मानपुर)
संरक्षण अभियंता
सांनिधि वृत्त बीरा

AGENCY COPY
NEFT / RTGS CHALLAN for Ad-HOC CAMPA

Date : 18-04-2019

Agency Name.	PUBLIC WORKS DEPARTMENT
Application No.	6169880119
MoEF/SG File No.	8B/RAJ/06/172015
Location.	RAJASTHAN
Address.	Office of the Executive engineer PWD Division ShahBaran
Amount(in Rs)	1580200/-

Amount in Words :Fifteen Lakh Eighty Thousand Two Hundred Rupees Only

NEFT/RTGS to be made as per following details;

Beneficiary Name:	RAJASTHAN CAMPA
IFSC Code:	CORP0000371
Pay to Account No.	150856169880119 Valid only for this challan amount.
Bank Name & Address:	Corporation Bank Lodhi Complex Branch, Block 11,CGO Complex, Phase I, Lodhi Road, New Delhi -110003

- This Challan is strictly to be used for making payment to CAMPA by NEFT/RTGS only
- This challan is valid only for seven days.

BANK COPY
NEFT / RTGS CHALLAN for Ad-HOC CAMPA

Date : 18-04-2019

Agency Name.	PUBLIC WORKS DEPARTMENT
Application No.	6169880119
MoEF/SG File No.	8B/RAJ/06/172015
Location.	RAJASTHAN
Address:	Office of the Executive engineer PWD Division Shah Baran
Amount(in Rs)	1580200/-

Amount in Words :Fifteen Lakh Eighty Thousand Two Hundred Rupees Only

NEFT/RTGS to be made as per following details;

Beneficiary Name:	RAJASTHAN CAMPA
IFSC Code:	CORP0000371
Pay to Account No.	150856169880119 Valid only for this challan amount.
Bank Name & Address:	Corporation Bank Lodhi Complex Branch, Block 11,CGO Complex, Phase I, Lodhi Road, New Delhi -110003

- This Challan is strictly to be used for making payment to CAMPA by NEFT/RTGS only
- This challan is valid only for seven days.

After making successful payment, User Agencies may send a line of confirmation through Email: helpdeskcampa@corpbank.co.in

Payment done by

T.V. No. - 3748
23/04/19

शहाबाद (मि.वा.सं.सं.)

AGENCY COPY

NEFT / RTGS CHALLAN for Ad-HOC CAMPA

Date : 18-04-2019

Agency Name.	PUBLIC WORKS DEPARTMENT
Application No.	6169880119
MoEF/SG File No.	8B/RAJ/06/172015
Location.	RAJASTHAN
Address.	Office of the Executive engineer PWD Division ShahBaran
Amount(In Rs)	1580200/-

Amount in Words :Fifteen Lakh Eighty Thousand Two Hundred Rupees Only

NEFT/RTGS to be made as per following details;

Beneficiary Name:	RAJASTHAN CAMPA
IFSC Code:	CORP0000371
Pay to Account No.	150856169880119 Valid only for this challan amount.
Bank Name & Address:	Corporation Bank Lodhi Complex Branch, Block 11,CGO Complex, Phase I, Lodhi Road, New Delhi -110003

- This Challan is strictly to be used for making payment to CAMPA by NEFT/RTGS only
- This challan is valid only for seven days.

BANK COPY

NEFT / RTGS CHALLAN for Ad-HOC CAMPA

Date : 18-04-2019

Agency Name.	PUBLIC WORKS DEPARTMENT
Application No.	6169880119
MoEF/SG File No.	8B/RAJ/06/172015
Location.	RAJASTHAN
Address:	Office of the Executive engineer PWD Division Shah Baran
Amount(In Rs)	1580200/-

Amount in Words :Fifteen Lakh Eighty Thousand Two Hundred Rupees Only

NEFT/RTGS to be made as per following details;

Beneficiary Name:	RAJASTHAN CAMPA
IFSC Code:	CORP0000371
Pay to Account No.	150856169880119 Valid only for this challan amount.
Bank Name & Address:	Corporation Bank Lodhi Complex Branch, Block 11,CGO Complex, Phase I, Lodhi Road, New Delhi -110003

- This Challan is strictly to be used for making payment to CAMPA by NEFT/RTGS only
- This challan is valid only for seven days.

After making successful payment, User Agencies may send a line of confirmation through
Email: helpdeskcampa@corpbank.co.in

T.N.No. - 3748
23/04/19

उपकायाधिकारी
शाहाबाद (जिला-बारा)